भोपाल | बुधवार | 14 जनवरी 2026 | वर्ष 69 | अंक 341 | पृष्ठ 20 | मूल्य रु. 6.00
navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्र हित का प्रहरी १९३४ से

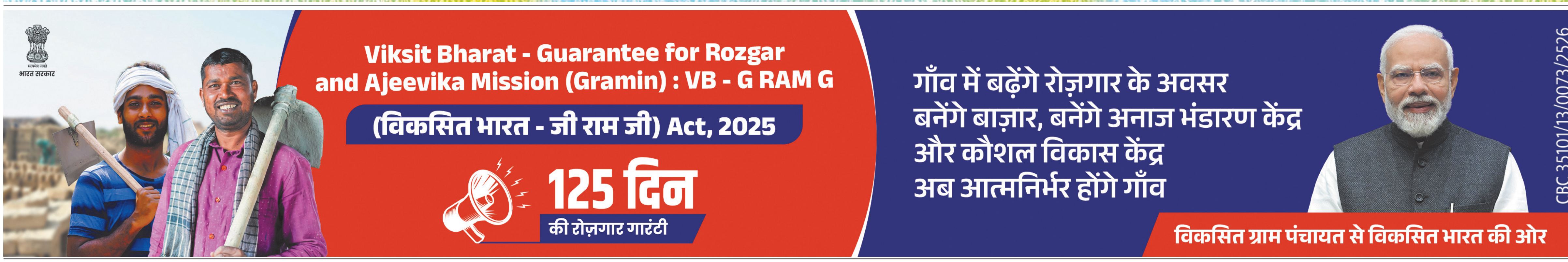

डिजिटल अरेस्ट पर केंद्र सख्त

14.85 करोड़ की ठगी का सामने आया था मामला

16 दिसंबर 2025 के आदेश को सीबीआई को किया था ट्रांसफर

नई दिल्ली, 13 जनवरी. देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है. कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिल्ली पुलिस की एफआईआर को सीबीआई को भी ट्रांसफर कर दिया है और एजेंसी ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ये सब तब हो रहा है जब दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले एनआईआर डॉक्टर दंपति से वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट करके 14.85 करोड़ की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसने इस

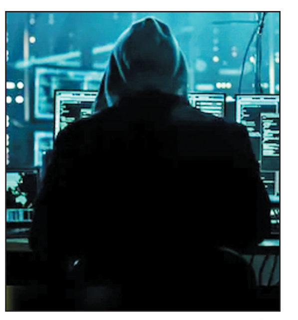

अपराध की गंभीरता और व्यापकता को एक बार फिर उजागर कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के 16 दिसंबर 2025 के आदेश के तहत दिल्ली पुलिस की एफआईआर नंबर 59/2025 को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया. सीबीआई ने इसे एफआईआर में रजिस्टर किया है और जांच शुरू हो चुकी है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कम से कम एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा है, जिससे सभी संबंधित मंत्रालयों/संस्थाओं से लिखित रिपोर्ट प्राप्त कर समग्र कार्ययोजना पेश की जा सके.

हाईलेवल कमेटी गठित

डिजिटल अरेस्ट की समस्या को व्यवस्थित ढंग से निपटाने के लिए गृह मंत्रालय ने उच्चस्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है. समिति में गृह मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग विदेश मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस)विधि मंत्रालय उपभोक्ता मामले मंत्रालय आरबीआई, सीबीआई, एनआईआर, दिल्ली पुलिस, एलवाईसी (इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर), समिति की अध्यक्षता स्पेशल सेक्रेटरी, एमएचए कर रहे हैं, जबकि एलवाईसी के सीईओ सदस्य सचिव हैं. अटॉर्नी जनरल भी इन बैठकों में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं.

डिजिटल अरेस्ट से 'ऐसे बचें'

किसी का भी कॉल/वीडियो कॉल पर 'अरेस्ट' वैध नहीं. कानून में गिरफ्तारी की निश्चित प्रक्रिया है. किसी भी धमकी पर कॉल काटें, खुद से वेरिफाई करें. 112/1930 (राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन), लोकल थाने, आधिकारिक ईमेल/नंबर पर संपर्क करें. बैंक ट्रांसफर से पहले अपने परिवार/ वकील/ बैंक मैनेजर से सलाह लें. बड़ी रकम पर कूलिंग-ऑफ अपनाए. स्क्रीन शेयर/ ओटीपी/पिन कभी किसी को न दें. अगर शक हो तो तुरंत 1930 पर शिकायत और बैंक/यूपीआई पर फ्रीज रिक्वेस्ट डालें, समय सबसे बड़ा फैक्टर है.

भ्रष्टाचार विरोधी कानून पर बंट गए सुको के 2 जज

नई दिल्ली, 13 जनवरी. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए की संवैधानिक वैधता पर विभाजित फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति बीवी.नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की दो-न्यायाधीशों की पीठ इस प्रावधान पर एकमत नहीं हो सकी .अब विभाजित फैसले के चलते अब धारा 17 ए की वैधता पर उच्चतम न्यायालय की वृहत पीठ अंतिम निर्णय करेगी.

10वीं के बाद साढ़े सात साल में बनेंगे आयुर्वेदिक चिकित्सक

नई दिल्ली, 13 जनवरी. संस्कृत भाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र अब 10वीं कक्षा के बाद साढ़े सात साल के नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर आयुर्वेदिक चिकित्सक बन सकेंगे. यह पाठ्यक्रम संस्कृत के प्रतिभाशाली छात्रों को आयुर्वेदिक चिकित्सक बनाने के साथ प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा का संस्थागत रूप से स्थापित करने का प्रयास है.

यह जानकारी मंगलवार को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.श्रीनिवास वरखेड़ी और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग की अध्यक्ष डॉ. मनीषा को ठेकर ने आयुर्वेद गुरुकुल संबद्धता पोर्टल और आयुर्वेद गुरुकुलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों के औपचारिक शुभारम्भ के अवसर पर दी. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सारस्वत सभागार में पोर्टल एवं दिशा-निर्देशों का विमोचन किया गया.

सीमा पार से हरकत की तो मिलेगा मुंहतोड़ जवाब : सेना प्रमुख

नई दिल्ली, 13 जनवरी (वार्ता) सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि नियंत्रण रेखा के पार अभी भी आठ से 10 आतंकवादी शिविर सक्रिय है, जिनमें 100 से 150 आतंकवादी हैं.

उन्होंने कहा कि सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है और किसी भी आतंकवादी हरकत का सेना करारा जवाब देगी. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमा पर स्थिति स्थिर है लेकिन सतकृता बनाए रखना जरूरी है. जनरल द्विवेदी ने सेना दिवस से पहले वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में सवालों के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर के भीतरी इलाकों में भी करीब 140 आतंकवादी सक्रिय है. सेना प्रमुख ने कहा है कि ऑपरेशन के समय पाकिस्तान की समझ में आ गया था कि अब युद्ध को रोकना बहुत जरूरी हो गया है.

पांच हजार करोड़ के कर्ज से सुधारेंगे शहरों की सेहत

- मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए कई फैसले
- विकास योजना के लिए कर्ज लेने की मंजूरी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 13 जनवरी. प्रदेश के साथ ही देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी के सेवन से लोगों की मौत की घटना के बाद अब सरकार पांच हजार करोड़ रुपये के कर्ज से शहरों की सेहत सुधारने की तैयारी में है.

नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास विभाग इसमें से 2798 करोड़ रुपये बाजार से कर्ज लेगा, वहीं बाकी 2202 करोड़ रुपये का कर्ज राज्य सरकार जीरो फीसदी ब्याज पर देगी. मंगलवार को कैबिनेट ने इस संबंध में पेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. निर्णय के तहत मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के पांचवें चरण के काम के लिए ये राशि तीन वर्ष में खर्च की जाएगी. इस राशि से मास्टर प्लान की सड़कें जिले की प्रमुख एवं अन्य रोड तथा शहर की प्रमुख सड़कों का निर्माण का किया जाएगा.

(शेष पेज 12 पर)

ये भी लिए फैसले

- कैबिनेट ने सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना को मंजूरी दी है. इस पर 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च होंगे.
- कैबिनेट ने शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए एक जुलाई 2023 या उसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना प्रभावशील करने का निर्णय लिया है. इसके लिए 322 करोड़ 34 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है.

10 मिनट डिलीवरी लिमिट पर रोक

नई दिल्ली, 13 जनवरी. सरकार ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की 10 मिनट की डिलीवरी पर रोक लगा दी है. इस जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी आदि जैसे प्लेटफार्म 10 मिनट में डिलीवरी नहीं दे पाएंगे. श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इस सर्विस पर रोक लगाई.

यह मामला हैदराबाद में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक शख्स की मौत से जुड़ा है. जेप्टो ने उस शख्स को अपना कर्मचारी नहीं बताया था. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रमुख

डिलीवरी एग्रीगेटर्स के साथ इस मामले में बात की. अंत में उन्होंने 10 मिनट की डिलीवरी की समय सीमा को हटाने के लिए राजी कर लिया. डिलीवरी की समय सीमा से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी. सूत्रों के अनुसार, ब्लिंकिट ने पहले ही निर्देश पर कार्रवाई की है और अपनी ब्रांडिंग से 10 मिनट की डिलीवरी का वादा हटा दिया है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अन्य एग्रीगेटर भी इसी राह पर चलेंगे. इस कदम का उद्देश्य गिग वर्कर्स (अस्थायी या फ्रीलांस काम करने वाले) की सुरक्षा, संरक्षा और काम करने की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करना है.

आतंकी संगठनों से संबंध रखने वाले 5 कर्मचारी बर्खास्त

श्रीनगर, 13 जनवरी. जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. एक ओर कठुआ जिले की पहाड़ियों में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने सिस्टम के भीतर छिपे देश विरोधी तत्वों पर बड़ी कार्रवाई की है. आतंकी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में 5 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

नया फरमान | ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर लगाया 25 फीसदी शुल्क

ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम

वॉशिंगटन, 13 जनवरी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात ईरान में महंगाई और सत्ता के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के सशस्त्र दमन के मद्देनजर कार्रवाई करते हुए ईरान से किसी भी तरह का व्यापार करने पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया.

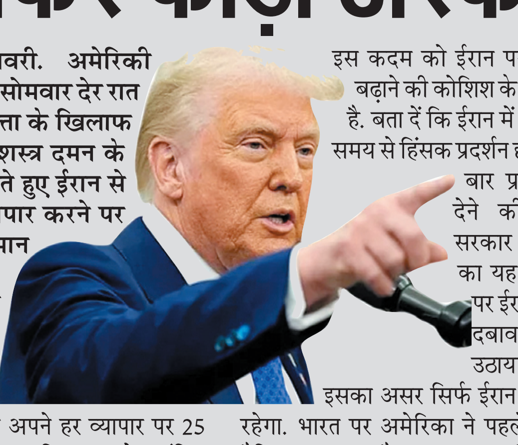

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान से व्यापार करने वाला कोई भी देश अमेरिका के साथ अपने हर व्यापार पर 25 फीसदी टैरिफ देगा. उन्होंने कहा कि यह आदेश अंतिम है और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा. ट्रंप के इस कदम को ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की कोशिश के तहत देखा जा रहा है. बता दें कि ईरान में दो हफ्ते से ज्यादा समय से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं. ट्रंप बार-बार प्रदर्शनों में दखल देने की धमकी ईरान सरकार को दे रहे हैं. ट्रंप का यह कदम सीधे तौर पर ईरान की सरकार पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा. भारत पर अमेरिका ने पहले ही 50 फीसदी टैरिफ लगा हुआ है. कहा जा रहा है कि नया टैरिफ भारत-अमेरिका के संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है.

ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए एक कदम और बढ़े डोनाल्ड ट्रंप

ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिका की संसद में बिल लाया गया है. इस बिल को डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के फ्लोरिडा से सांसद रैंडी फाइन ने पेश किया है. फाइन ने औपचारिक रूप से ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट पेश किया. यह कानून अमेरिकी सरकार को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और उसे राज्य का दर्जा देने के लिए कानूनी अधिकार देने के मकसद से लाया गया है.